UPSR010003262023

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती**

**पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द** (उच्चतर न्यायिक सेवा ID UP06538)

**सत्र वाद सं०–90/2023**

**उत्तर प्रदेश सरकार** .........**अभियोजन**

**बनाम**

**सिराज** पुत्र घसीटे,

निवासी–ग्राम महजीदिया बेगमपुर, थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती।

...........**अभियुक्त**

अ०सं०–538/2022
धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं०
व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–मल्हीपुर , जिला–श्रावस्ती।

**निर्णय**

**1–** थाना मल्हीपुर, जिला श्रावस्ती की पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 538/2022, धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना मल्हीपुर, जिला श्रावस्ती के मामले में विवेचनोपरान्त आरोप–पत्र अभियुक्त सिराज के विरुद्ध विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती को प्रेषित किये जाने पर, न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर मामले को अन्नयतः सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियाँ धारा 207 दं०प्र०सं० के तहत् प्रदत्त कर विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किये जाने पर सत्र वाद सं० 90/2023 के रूप में संस्थित हुआ।

**2–** अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा वहुती पत्नी सुभान अली, निवासिनी मूसेगांव, थाना मल्हीपुर, जिला श्रावस्ती द्वारा थानाध्यक्ष थाना मल्हीपुर को दिनांक 10.11.2022 इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी पुत्री रुखसाना पुत्री सुभान अली निवासी उपरोक्त का विवाह विपक्षी सिराज पुत्र घसीटे निवासी महजिदिया मौजा बेगमपुर के साथ 4 माह पूर्व हुआ था। वह तब से बराबर आती जाती थी परन्तु उसके ससुराल वाले कम दहेज लाने से मारते पीटते थे। कहते थे कि मोटर साइकिल दिलाओ नहीं तो उसे जान से मार देंगे। इस तरह वादिनी की पुत्री रुखसाना को सिराज दिनांक 09.11.2022 को शाम पांच बजे अपने साथ ले गया और रात 10.11.2022 को विपक्षी सिराज पुत्र घसीटे व महेश, कादिर,

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.06.29 15:18:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

छब्बन पुत्रगण घसीटे व स्त्री घसीटे नि० महजिदिया बेगमपुर जिला श्रावस्ती ने रात 8 बजे प्रार्थिनी के पास फोन लगाया कहा कि रात में मोटर साइकिल दहेज में अपाची लेकर आओ नहीं तो वह उसे जान से मार देंगे। जब कि वादिनी ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था और सुबह 7 बजे फोन किया कि उसकी लड़की ने फांसी लगा लिया है इसको लेकर घर जाओ नहीं तो जे०सी०बी० से खुदवाकर पटवा देंगे। तब वादिनी व उसका पूरा गांव गया और देखा कि उसकी लड़की लटकी है और जिस्म पर काफी चोटें हैं। तब वादिनी ने फोन से थाना पर सूचना दी और फिर पुलिस द्वारा लाश को उतारा गया। उसने अनुरोध किया कि उसका अभियोग पंजीकृत किया जाये।

**3–** वादिनी मुकदमा के द्वारा दी गई लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना मल्हीपुर, जिला श्रावस्ती पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4 मु०अ०सं० 538/2022, धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दिनांक 10.11.2022 को समय 18.15 बजे विपक्षीगण सिराज व अन्य के विरूद्ध दर्ज की गयी।

**4–** मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार चौबे द्वारा ग्रहण की गयी। उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। वादिनी तथा गवाहों के बयान अंकित किए गए। तमामी विवेचना व बयान गवाहों व अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर नामित आरोपी महेश, कादिर, छब्बन पुत्रगण घसीटे व खैरुलनिशा पत्नी घसीटे की नामजदगी गलत पायी गयी, जिसके आधार पर इन अभियुक्तगण का नाम अभियोग से पृथक किया गया। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त सिराज के विरुद्ध आरोप–पत्र धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक 04.01.2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए सम्बन्धित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा दिनांक 10.02.2023 को सत्र सुपुर्द किया गया जो सत्र वाद सं० 90/2023, राज्य बनाम सिराज के रूप में दर्ज हुआ।

**5–** अभियुक्त सिराज न्यायालय उपस्थित आया। उसके विरूद्ध न्यायालय आदेश दिनांकित 21.03.2023 द्वारा धारा 498ए, 304बी भा०दं०सं० व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

**6–** अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में लिखित तहरीर प्रदर्श क–1, मूल पंचायतनामा प्रदर्श क–2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–3, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4, कायमी जी०डी० प्रदर्श क–5, नक्शा नजरी प्रदर्श क–6, आरोप–पत्र प्रदर्श क–7, पुलिस प्रपत्र सं० 33 प्रदर्श क–8, फोटो नाश प्रदर्श क–9, चालान नाश प्रदर्श क–10, पत्र सी०एम०ओ० श्रावस्ती प्रदर्श क–11 को साबित कराया गया है।

**7–** अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 बहुती (वादिनी मुकदमा),

पी०डब्लू०–2 जुबेर अली, पी०डब्लू०–3 वकील खाँ, पी०डब्लू०–4 डॉ० राकेश कुमार सिंह, पी०डब्लू०–5 उ०नि० उदय नाथ मिश्रा, पी०डब्लू०–6 विवेचक अतुल कुमार चौबे, पी०डब्लू०–7 अजमेर अली को परीक्षित कराया गया है।

**8–** अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के मुख्य बयान निम्नवत् हैं:–

**9–** अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू –1 बहुती** (वादिनी मुकदमा) ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि उसने अपनी पुत्री रुखसाना की शादी मुस्लिम धर्म के अनुसार महजिदिया मौजा बेगमपुर के रहने वाले सिराज पुत्र घसीटे के साथ दिनांक 16.07.2022 को किया था। तबसे उसकी लड़की रुखसाना अपने ससुराल व मायके बराबर आती जाती रहती थी। उसकी लड़की की ससुराल वाले सिराज (पति), महेश (जेठ), छब्बन (जेठ), सास तथा जेठ कादिर द्वारा कभी भी उसकी बेटी को दहेज के लिए तंग व परेशान नहीं किया गया। यह लोग मोटरसाइकिल व दहेज की मांग भी उससे अथवा उसकी बेटी से नहीं किये। उसके पति ज्यादातर मजदूरी के लिए बम्बई रहते हैं। वह स्वयं ही अपने परिवार की देखभाल करती है। दिनांक 09.11.2022 को उसकी बेटी को उसके दामाद सिराज विदा कर शाम को ले गए थे, अगली सुबह सात बजे उसके दामाद सिराज ने उसे फोन किया कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर जब वह लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे तो उसकी बेटी दुपट्टे से कुंढ़े से लटकी हुई थी उसके शरीर पर उसने कोई चोट के निशान नहीं देखे थे और अपनी बेटी की लाश देखकर वह बहुत परेशान हो गयी और लोगों के कहने पर उसने अपने दामाद व अन्य लोगों के खिलाफ थाने पर दरख्वास्त देकर मुकदमा लिखा दिया। पत्रावली में संलग्न कागज सं० ए–3/4 मूल तहरीर देखकर व सुनकर साक्षी ने कहा कि यह दरख्वास्त उसने थाने पर दिया था। इस पर उसका निशानी अंगूठा लगा है जिसे वह प्रमाणित करती है। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मौके पर पुलिस वाले आए थे। लाश का पंचायतनामा कर सील मुहर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। दरोगा जी ने उससे पूछताछ की थी।

**10–** अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–2 जुबेर अली** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि उसकी बहन रुखसाना की शादी बेगमपुर के रहने वाले सिराज के साथ सन् 2022 में हुई थी। तब से उसकी बहन अपनी ससुराल आती जाती थी। उसकी बहन से उसके ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल की मांग नहीं करते थे। उसका बहनोई सिराज ज्यादातर बम्बई में रहता था। सन् 2022 के ग्यारहवे महीने में उसके बहनोई सिराज उसकी बहन को विदा करा कर ले गए थे। दूसरे दिन उसके बहनोई ने उसके घर पर फोन किया कि उसकी बहन की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर जब वह लोग मौके पर पहुँचे तो देखा कि उसकी बहन को कुन्दे से नीचे उतार दिए थे और गले में दुपट्टा लगा हुआ था। यह देखकर वह लोग परेशान हो गए और उसकी मम्मी ने थाने में रिपोर्ट लिखा दिया। मौके पर

पुलिस वाले आए थे और लाश का पंचायतनामा उसके सामने किए थे। पंचायतनामा की लिखा पढ़ी करके उसका भी निशानी अंगूठा लगवाए थे जो पत्रावली में संलग्न कागज सं० ए–6/2 का ए–6/3 मूल पंचायतनामा पर साक्षी ने अपना निशानी अंगूठा देखकर कहा कि यह उसका है जिसको वह प्रमाणित करता है। इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

**11–** अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–3 वकील खां** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि उसके गांव के सिराज पुत्र घसीटे का निकाह मूसे गांव के सुभान अली की लड़की रुखसाना के साथ सन् 2022 में हुआ था। शादी में ही विदायी हो गयी थी। उसके करीब 4 महीने बाद रुखसाना अपने ससुराल में ही कुण्डे से लटककर दुपट्टे में फांसी लगा ली जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मुल्जिम सिराज ने अपने ससुराल वालों को मृत्यु की सूचना दी थी। उसके बाद सिराज के ससुराल वालों ने उसकी सास बहुती के द्वारा दहेज हत्या का मुकदमा लिखा दिया गया था। मृत्यु की सूचना पर वह मौके पर गया था। उसे यह नहीं मालूम कि किस कारण रुखसाना की मृत्यु हुई। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। मौके पर पुलिस आ गयी थी। लाश का पंचायतनामा कर सील करके पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया था।

**12–** अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–4 डॉ० राकेश कुमार सिंह,** वर्तमान तैनाती संयुक्त जिला चिकित्सालय जनपद श्रावस्ती ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 11.11.2022 को वह संयुक्त जिला चिकित्सालय जनपद श्रावस्ती में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात था। उस दिन उसकी डयूटी पोस्टमार्टम हाउस में डा० रंजीत कुमार वर्मा, चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरसिया के साथ संयुक्त रूप से लगी थी। उस दिन उन लोगों ने मृतका रुकसाना उम्र 21 वर्ष पत्नी सिराज अहमद निवासी महजीदिया दाखिली बेगमपुर थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती के शव का पोस्टमार्टम किया था जिसे उसके समक्ष कॉ० नवनीत सिंह पी०एन०ओ० 112073868 व महिला कॉ० जूली पी०एन०ओ० 192710161 थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती के द्वारा लाया गया था।

**वाह्य परीक्षण–**

मृतका की लम्बाई 145 से०मी०, शरीर की बनावट मध्य, औसत कदकाठी थी। मृतका के शरीर पर मृत पश्चात अकड़न शरीर के ऊपरी व निचले दोनों हिस्से में मौजूद थी। दोनों आँखें अधखुली थी। मुंह बंद तथा जीभ मुंह के अंदर थी। नाखून सामान्य थे।

**मृतका के शरीर पर निम्न मृत्यु पूर्व चोटें पायी गयीं–**

**1–** 21cm x 2cm ligature mark present गर्दन के अगले हिस्से में जिसमें गर्दन के दोनों तरफ एवं पीछे के हिस्से में 11cm नीचे तथा थोठी के बीच के हिस्से से 5cm था। गांठ का दाग गर्दन के दाहिने हिस्से में था।

**2–** 4cm x 2cm abrasion दाहिने घुटने के दाहिने तरफ था।

**3–** 2cm x 3cm abrasion दाहिने हाथ के wrist joint से 5cm ऊपर था जो कि lateral surface पर था।

**आंतरिक परीक्षण–**

मष्तिस्क की रक्त वाहिनियां व मष्तिस्क कंजेस्टेड थी। गर्दन पर ligature mark कटिंग करने पर white hard glistening tissue present था। छाती में both lungs congested थे एवं patechial hemorrhage था। हृदय का दाहिना चैम्बर भरा था। बायां खाली था। अमाशय में 150 ML अधपचा भोजन मौजूद था। दोनों गुर्दे कंजेस्टेड थे।

**अभिमत–**

मृत्यु का सम्भावित समय लगभग एक दिन के अंदर था। मृत्यु का तात्कालिक कारण asphexia due to antemortem hanging था। मृतका के शरीर पर पायी गयी सभी चोटें मृत्यु के पूर्व की थी। मृतका के शरीर पर पायी गयी चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

इस साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए 6/1 पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर कहा कि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके हस्तलेख में है जिस पर उसके व डा० रंजीत कुमार वर्मा के हस्ताक्षर बने हैं जिन्हे वह प्रमाणित करता है जिसपर **प्रदर्श क–3** डाला गया।

**13–** अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–5 उ०नि० उदयनाथ मिश्रा,** वर्तमान तैनाती थाना पथरा बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिद्धार्थनगर से जरिए वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 10.11.2022 को वह थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती में हे० मो० के पद पर नियुक्त था। उस दिन वादिनी मुकदमा श्रीमती बहुती पत्नी सुभान अली निवासी मूसे गाँव थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती खुद का निशानी अँगूठा लगा एक प्रार्थना पत्र लेकर थाना कार्यालय आयी जिस पर उसने थानाध्यक्ष के मौखिक निर्देश पर मु०अ०सं० 538/2022 धारा 498A, 304B I.P.C व 3/4 D.P. Act विरूद्ध सिराज आदि कम्प्यूटर आपरेटर, का० दीपू से बोल–बोलकर कम्प्यूटरीकृत कराया था। जिसकी कायमी भी उसने का० दीपू से बोल–बोलकर रपट नं० 39 दिनांक 10.11.2022 समय 18:15 पर कम्प्यूटरीकृत कराया था। विवेचक ने उसका बयान लिया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या A3/1 ता A3/3 F.I.R व कागज संख्या A6/11 कायमी जी०डी० को देखकर कहा कि ये प्रपत्र उसके द्वारा का० दीपू से बोल–बोलकर कम्प्यूटरीकृत कराया गया था। जिन्हें वह प्रमाणित करता है जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–4** व **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

**14–** अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–6 अतुल कुमार चौबे,** वर्तमान तैनाती अपर पुलिस अधीक्षक यातायात मुजफ्फर नगर पुलिस लाइन, मुजफ्फर नगर ने जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सशपथ कथन किया है कि दिनांक 10.11.2022 को वह क्षेत्राधिकारी,

भिनगा के पद पर तैनात था। उस दिन थाना मल्हीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 538/2022 अन्तर्गत धारा 498A, 304B I.P.C. & 3/4 DP Act विरुद्ध सिराज आदि पंजीकृत होकर विवेचना उसे प्राप्त हुयी। विवेचना ग्रहण करके उसने उसी दिन परचा नं० 1 किता किया जिसमें अवलोकन नकलचिक नकल रपट कर सी०डी० में अंकन किया तथा एफ०आई०आर० लेखक हेड कां० उदयनाथ मिश्रा का बयान अंकित किया। दिनांक 11.11.2022 को पर्चा नं० 2 किता किया जिसमें बयान वादिनी श्रीमती बहुती बयान भाई मृतका जुबैर अली व शुभान अली तथा बयान मामा मृतका शमशाद अली का बयान अंकित किया तथा वादिनी मुकदमा व गवाहान को लेकर ग्राम महजिदिया जाकर वादिनी मुकदमा के निशानदेही पर घटना स्थल पर निरीक्षण किया तत्पश्चात ग्राम वासी वसीम खां व वकील खां का बयान अंकित किया तथा मृतका के पी एम रिपोर्ट की कारण प्रति का अवलोकन कर उसका अंकन सी०डी० में किया दिनांक 14.11.2022 को पर्चा नं० 3 किता किया जिसमें अवलोकन मूल पंचायतनामा व अवलोकन पी एम रिपोर्ट कर उसका अंकन सी०डी० में किया। दिनांक 27.11.2022 को पर्चा नं० 4 किता किया जिसमें अवलोकन नकल गिरफ्तारी रपट अभियुक्त सिराज व अवलोकन गिरफ्तारी मेमो अभियुक्त सिराज कर अंकन सी०डी० में किया तथा अभियुक्त सिराज का बयान अंकित कर अभियुक्त के 14 दिवस की माननीय न्यायालय से रिमाण्ड की याचना की। दिनांक 28.11.2022 को पर्चा नं० 5 किता किया जिसमें अवलोकन प्रार्थना पत्र वादिनी व अवलोकन शपथ पत्र वादिनी कर सी०डी० में अंकन किया। दिनांक 05.12.2022 को पर्चा नं० 6 किता किया जिसमें पंचायतनामा के गवाह मुस्लिम खां, जाबिर खां, असगर खां व शाहिद खां का बयान अंकित किया। दिनांक 16.12.2022 को पर्चा नं० 8 किता किया जिसमें मजीद बयान वादिनी श्रीमती बहुती, भाई मृतका जुबैर अली व अजमेर अली अंकित किया तथा स्वतंत्र साक्षी नुरुलहसन, फारुक अली, आफताब, रईस, अकबर का बयान अंकित किया। दिनांक 18.12.2022 को पर्चा नं० 9 किता किया जिसमें पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर राकेश सिंह व पंचायतनामा करने वाले तहसीलदार जमुनहा श्री अहमद फरीद खां व उपनिरीक्षक राम प्रगट मिश्रा तथा पोस्टमार्टम कराने वाले का० नवनीत सिंह का बयान अंकित किया। दिनांक 24.12.2022 को मृतका रुकसाना के निकाहनामा के गवाह सलमान व स्वतंत्र गवाह इमाम खां का बयान अंकित किया। इस प्रकार अब तक के तमामी विवेचना व बयान गवाहों व अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर नामित आरोपीगण महेश, कादिर, छब्बन पुत्रगण घसीटे व खैरुलनिशा पत्नी घसीटे की नामजदगी गलत पायी गयी। जिसके आधार पर इन अभियुक्तगण का नाम अभियोग से पृथ्क किया गया। तत्पश्चात ग्राम महजिदिया जाकर नामित आरोपीगण खैरुलनिशा, छब्बन, महेश का बयान अंकित किया। अब तक के तमामी विवेचना बयान वादिनी निरीक्षण घटना स्थल बयान गवाहान अवलोकन पी०एम० रिपोर्ट व पंचायतनामा व उनके गवाहों के आधार पर नामित आरोपीगण महेश, कादिर, छब्बन पुत्रगण घसीटे व

खैरुलनिशा पत्नी घसीटे की नामजदगी गलत पायी गयी तथा अभियुक्त सिराज पुत्र घसीटे के विरुद्ध जुर्म धारा 498A, 304B I.P.C. & 3/4 DP Act का अपराध प्रमाणित पाते हुये अभियुक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्या ए 476/2022 माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए 5/1 नक्शानजरी व कागज संख्या ए 4/1 ता ए 4/9 आरोप पत्र को देखकर कहा कि यह दोनों प्रपत्र उसके द्वारा तैयार किये गये हैं जिन पर उसके हस्ताक्षर बने हैं जिन्हें वह प्रमाणित करता है जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–6** व **प्रदर्श क–7** अंकित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न प्रदर्श क–2 पंचायतनामा को देखकर कहा कि यह पंचायतनामा उपनिरीक्षक राम प्रगट द्वारा तहसीलदार जमुनहा अहमद फरीद खां के बोलने पर तैयार किया गया था। जिसे वह प्रमाणित करता है जो उसे दौरान विवेचना प्राप्त हुआ था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए 6/4 पुलिस प्रपत्र संख्या 33, कागज संख्या ए 6/5 फोटोनाश, कागज संख्या ए 6/6 चालाननाश, कागज संख्या ए 6/7 पत्र सी०एम०ओ० श्रावस्ती को देखकर कहा कि यह प्रपत्र भी उपनिरीक्षक राम प्रगट द्वारा तहसीलदार जमुनहा अहमद फरीद खां के बोलने पर तैयार किया गया था जो उसे दौरान विवेचना प्राप्त हुये थे। जिन्हें वह प्रमाणित करता है। जिन पर तहसीलदार अहमद फरीद खां के हस्ताक्षर बने हैं जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–8**, **प्रदर्श क–9**, **प्रदर्श क–10**, **प्रदर्श क–11** अंकित किया गया।

**15–** अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–7 अजमेर अली** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से तीन वर्ष पहले की है। मृतका रूकसाना उसकी बहन है। रूकसाना की शादी घटना से लगभग पाँच महीने पहले सिराज पुत्र घसीटे निवासी–महजिदिया मौजा बेगमपुर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुयी थी। उसकी बहन की विदाई शादी में ही हो गयी थी। विदाई में अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट व उपहार दिया था। उन लोगों की तरफ से कोई दहेज की माँग नहीं की गयी थी। घटना वाले दिन उसकी बहन के गाँव से किसी व्यक्ति ने उसकी माँ को फोन कर सूचना दी कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गयी है तब उसकी माँ, उसकी बहन के ससुराल गयी। घटना के समय वह बाहर मजदूरी करने गया हुआ था। घटना के तीन–चार दिन बाद वह वापस आया था। रूकसाना दहेज माँगे जाने की कोई बात उन लोगों से नहीं कहती थी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसकी माँ ने लिखायी थी। बाद में पुलिस वाले जाँच करने आये थे व पूछताछ की थी।

**16–** अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० दर्ज किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए तथ्य के साक्षी पी०डब्लू० 01, 02, 03 व 07 के बयान पर कुछ नहीं कहा है। अभियुक्त ने पी०डब्लू० 4 डॉ० राकेश कुमार सिंह के बयान को गलत साबित करना बताया है। अभियुक्त ने साक्षी पी०डब्लू० 05 के बयान को वादिनी मुकदमा के प्रभाव में गलत मुकदमा कायम करना बताया है। अभियुक्त ने साक्षी पी०डब्लू० 06 विवेचक अतुल कुमार चौबे के बयान को गलत विवेचना करके गलत तथ्यों के आधार पर गलत आरोप

पत्र प्रेषित करना बताया है। अभियुक्त ने मुकदमा रंजिशन व गलतफहमी के कारण चलना बताया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि मृतका की मृत्यु उसकी गैर मौजूदगी में हुई थी। मृतका द्वारा स्वयं अज्ञात कारणों से आत्महत्या की गयी है। लोगों के बहकावे में आकर झूठी रिपोर्ट लिखाई गयी।

**17–** अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन किया।

**18–** अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त मृतका का पति है। उसे वादिनी द्वारा इस मामले में मिथ्या लिप्त किया गया है। उसके द्वारा न तो मृतका से न तो अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी है और न ही उसे प्रताड़ित किया गया है और न ही उसकी दहेज हत्या कारित की गयी है। साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन कथानक मात्र गलतफहमी पर आधारित है। मृतका अभियुक्त (पति) से विवाह नहीं करना चाहती थी परन्तु परिवार वालों के दबाव में उसने अभियुक्त से विवाह किया था। वह अपने विवाह से संतुष्ट नहीं थी। जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसके घर पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार (प्रदर्श क–3) के अनुसार मृतका के शरीर पर लिगेचर मार्क के अलावा कोई भी गम्भीर प्रकार की चोटें मौजूद नहीं थी जो कि मारपीट व प्रताड़ना के आरोपों को झुठलाती है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि दौरान विवेचना अन्य नामित आरोपीगण महेश, कादिर, छब्बन पुत्रगण घसीटे व खैरुलनिशा पत्नी घसीटे की नामजदगी गलत पायी गयी थी। ग्रामवासी व स्वतंत्र गवाहों ने भी अभियुक्त द्वारा दहेज के लिए मृतका को प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि उपर्युक्त मामला धारा 304 बी का नहीं बल्कि आत्महत्या का है। अभियोजन प्रपत्रों के साबित होने के आधार पर अभियोजन कथानक को तब तक विश्वसनीय व साबित नहीं माना जा सकता, जब तक घटना के बावत तथ्य के साक्षीगण द्वारा युक्तियुक्त रूप से घटना को संदेह से परे साबित नहीं कर दिया जाता है। उक्त आधारों पर बल देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

**19–** राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी मुकदमा ने अपनी पुत्री का विवाह अभियुक्त से घटना से चार माह पूर्व अपने सामर्थ्य के अनुसार किया था। अभियुक्त की ओर से वादिनी मुकदमा की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग के रूप में अपाची मोटरसाइकिल की मांग करते थे जिसकी पूर्ति न होने पर उसे प्रताड़ित कर क्रूरता के अधीन रखा तथा दिनांक 09/10.11.2022 की रात में अभियुक्त के निजी निवास स्थान पर अपनी पत्नी रुखसाना की अतिरिक्त दहेज की खातिर उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसकी दहेज हत्या कर दी। यह भी तर्क किया गया कि

मृतका की मृत्यु शादी के मात्र 4 माह में के अन्दर अस्वभाविक परिस्थितियों में उसकी ससुराल के घर में हुई है, जो धारा 304 बी भा०दं०सं० के तहत दहेज हत्या की उपधारणा को प्रभावी बनाता है। वादिनी मुकदमा के अनुसार उसकी क्षमता के अनुसार ही विवाह किया गया था परन्तु उसके बाद भी अभियुक्त द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग के रूप में अपाची मोटरसाइकिल की मांग की गयी और इसके लिए मृतका को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पंचायतनामा के समय मृतका के गले पर गोलाई में गहरे निशान पाए गए थे, जो संदिग्ध मृत्यु की ओर इशारा करते हैं। अभियोजन के अनुसार, दहेज की मांग की निरंतरता के कारण मृतका को आत्महत्या के लिए विवश किया गया या उसकी हत्या की गयी। अभियोजन का तर्क है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शरीर पर पायी गयीं चोटें और गवाहों के बयान यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ क्रूरता कारित करते हुए उसकी दहेज हत्या की गयी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराए गये तथ्य व औपचारिक साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक एवं अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित किया गया है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को कठोर से कठोर दण्ड दिये जाने की याचना की गयी।

**20–** अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व उसके सन्दर्भ में बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्क के आलोक में उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने से पूर्व धारा 304 बी भा0 दं0 सं0 के अधीन दण्डनीय अपराध को निर्मित करने वाले आवश्यक तत्वों को उद्धृत करना आवश्यक है। इस धारा के अधीन दहेज हत्या का अपराध निर्मित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना चाहिएः–

1. मृत्यु जलने के द्वारा अथवा शारीरिक क्षति द्वारा कारित की गयी हो अथवा सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा घटित हुई हो।
2. मृत्यु विवाह से 7 वर्ष के अन्दर की अवधि में घटित हुई हो।
3. यह दर्शाया जाना आवश्यक है कि मृत्यु से ठीक पहले उसके पति अथवा पति के किसी सदस्य द्वारा उस स्त्री के साथ क्रूरता की गयी।
4. ऐसी क्रूरता अथवा तंग किया जाना, दहेज की किसी मांग के सम्बन्ध में की गयी है।

यहां पर उभय पक्ष की ओर से धारा 113 बी एवं धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उल्लेख करना उचित होगा।

उक्त के अनुसार, ‘‘जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे उस व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी मांग के सम्बन्ध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।‘‘

इस प्रकार इस धारा के अधीन दहेज हत्या की उपधारणा केवल तभी की जायगी जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती होंः–

1. पत्नी की मृत्यु के ठीक पहले उसे प्रताड़ित किया गया हो तथा उसके साथ निर्दयता बरती गयी हो।
2. मृत्यु दहेज की मांग के सम्बन्ध में हो।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ है, जो भा०द०सं० की धारा 304 बी से है। दहेज मृत्यु के सम्बन्ध में उपधारणा तब की जाती है, जब अभियोजन पक्ष यह साबित कर दे कि मृत्यु से ''ठीक पहले'' पीड़ित स्त्री के साथ क्रूरता की गयी थी या उसे तंग किया गया और यह सब दहेज की मांग को लेकर किया गया था। धारा 304 बी भा0 द 0 सं0 में उल्लिखित मृत्यु से ठीक पूर्व वाक्यांश का अर्थ मृत्यु तथा क्रूरता के बीच में कुछ निकटतम तथा घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए। यह एक अपेक्षित कथन है, इसलिए उसका कोई सीधा सटीक सूत्र नहीं बनाया जा सकता है कि कितने समय अन्तराल के कुछ देर पहले माना जाये। यह न्यायालय को प्रत्येक मामले में देखना पड़ेगा। सामान्यतः मृत्यु से ''ठीक पूर्व'' का तात्पर्य है कि प्रश्नगत मृत्यु और उत्पीड़न में अत्यधिक समय का अन्तर न हो। इसी के आलोक में यह देखा जाना है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में मृतका को उसकी मृत्यु से ''ठीक पूर्व'' दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था।

**21–** उभय पक्ष के उपरोक्त तर्कों के आधार पर सर्वप्रथम देखा जाना है कि क्या मृतका रुखसाना की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में अभियुक्त के घर के अन्दर हुई।

**22–** वादिनी मुकदमा पी०डब्लू० 1 बहुती ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह सशपथ यह कथन किया है कि उसने अपनी पुत्री रुखसाना की शादी मुस्लिम धर्म के अनुसार महजिदिया मौजा बेगमपुर के रहने वाले सिराज पुत्र घसीटे के साथ दिनांक 16.07.2022 को किया था। अभियोजन कथानक और प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–4** के अनुसार मृतका रुखसाना की मृत्यु दिनांक 09/10.11.2022 के बीच में हुई थी। इस प्रकार, यदि विवाह की तिथि 16.07.2022 से मृत्यु की तिथि 09/10.11.2022 तक के समय की गणना की जाए, तो यह अवधि लगभग 4 माह बैठती है, जो कि भा०दं०सं की धारा 304 बी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अन्तर्गत निर्धारित सात वर्ष की वैधानिक सीमा के पूर्णतया भीतर है। तहरीर **प्रदर्श क–1** में वादिनी मुकदमा ने कथन किया है कि दिनांक 10.11.2022 को उसे दूरभाष से मृतका के ससुराल वालों द्वारा सूचित किया गया था कि उसकी लड़की ने फांसी लगा लिया है। सूचना पर वादिनी मुकदमा व अन्य मृतका के ससुराल पहुँच कर मृतका के शव को देखते हैं, जिस पर काफी चोटें हैं। उक्त के पश्चचात वादिनी मुकदमा द्वारा थाना पर फोन से सूचित किया गया और फिर पुलिस द्वारा मृतका के शव को नीचे उतारा गया। साक्षी

पी०डब्लू० 2 जुबेर अली जो कि मृतका का भाई है ने पंचायतनामा प्रदर्श क–2 को साबित किया है और अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जब उसके बहनोई द्वारा उसकी बहन की मृत्यु की सूचना दी गयी तो वह अपनी मां के साथ अपनी बहन के ससुराल पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी बहन को कुन्ढे से नीचे उतार दिए थे और गले में दुपट्टा लगा हुआ था। जिससे वह लोग परेशान हो गए थे और उसकी माता ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दिया था। घटनास्थल के संबंध में पी०डब्लू० 6 अतुल कुमार चौबे, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी भिनगा, जनपद श्रावस्ती ने अपनी विवेचना के दौरान वादिनी मुकदमा व अन्य की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 तैयार किया। इसके साथ ही विवेचक द्वारा पंचायतनामा प्रदर्श क–2 जो कि उपनिरीक्षक राम प्रगट द्वारा तहसीलदार जमुनहा अहमद फरीद खां के बोलने पर तैयार किया गया था को प्रमाणित किया। पंचायतनामा की राय पंचान में भी स्पष्ट रूप से गवाहों ने एक राय होकर मृत्यु का कारण फांसी लगना बताया और सही कारण जानने हेतु शव–विच्छेदन कराने की संस्तुति की। इस क्रम में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 डॉ० राकेश कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि दिनांक 11.11.2022 को उन्होंने डॉ० रंजीत कुमार वर्मा के साथ संयुक्त रूप से मृतका रुखसाना उम्र 21 वर्ष के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श क–3 तैयार की गई। पोस्टमार्टम आख्या और चिकित्सक के बयान के अनुसार मृतका के गर्दन पर एक लिगेचर मार्क मौजूद था, जिसका आकार 21cm x 2cm जो गर्दन के अगले हिस्से में जिसमें गर्दन के दोनों तरफ एवं पीछे के हिस्से में 11cm नीचे तथा ढोड़ी के बीच के हिस्से से 5cm था। चिकित्सक द्वारा अपने अभिमत में स्पष्ट किया कि मृत्यु का तात्कालिक कारण asphexia due to antemortem hanging था। मृतका के शरीर पर पायी गयी सभी चोटें मृत्यु के पूर्व की थी। मृतका के शरीर पर पायी गयी चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। चूंकि फांसी लगने से दम घुटकर होने वाली मृत्यु किसी भी दृष्टिकोण से प्राकृतिक मृत्यु की श्रेणी में नहीं आती है, अतः यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि मृतका रुखसाना की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई है। मृत्यु का स्थान निर्विवाद रूप से अभियुक्त के अधिपत्य वाला उसका घर महजीदिया बेगमपुर, थाना मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती है। इस प्रकार उपलब्ध समस्त साक्ष्यों, पंचायतनामा प्रदर्श क–2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–3, नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 और साक्ष्यों की गहन समीक्षा से यह पूर्णतः संदेह से परे प्रमाणित होता है कि मृतका रुखसाना की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष की अवधि के भीतर, अभियुक्त के घर के अंदर, फांसी लगने के कारण दम घुटने से उत्पन्न हुई असामान्य एवं अप्राकृतिक परिस्थितियों में ही कारित हुई है।

**23–** अब यह देखा जाना है कि क्या विवाह के बाद से अभियुक्त द्वारा मृतका को प्रताड़ित किया गया और उससे अतिरिक्त दहेज में अपाची मोटरसाइकिल की मांग की गयी, जिसकी पूर्ति न होने पर फांसी लगाकर उसकी हत्या अथवा दहेज हत्या कारित कर दी गयी।

**24–** अभियोजन की ओर से अपने उपरोक्त कथानक को साबित करने के लिये कुल 07 साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं, जिनमें से तथ्य के चार साक्षीगण पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा बहुती पत्नी सुभान अली, मृतका की माता है। पी०डब्लू०–2 जुबेर अली मृतका का सगा भाई है। पी०डब्लू०–3 वकील खां जो कि मृतका की ससुराल का ग्रामवासी है तथा पी०डब्लू० 7 अजमेर अली जो कि मृतका का भाई है।

**25–** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी वादिनी मुकदमा पी०डब्लू०–1 बहुती पत्नी सुभान अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसने अपनी पुत्री रुखसाना की शादी मुस्लिम धर्म के अनुसार महजिदिया मौजा बेगमपुर के रहने वाले सिराज पुत्र घसीटे के साथ दिनांक 16.07.2022 को किया था। तबसे उसकी लड़की रुखसाना अपने ससुराल व मायके बराबर आती जाती रहती थी। वादिनी मुकदमा ने अपनी लिखित तहरीर में अपनी लड़की के ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगाया कि उनके द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग के रूप में अपाची मोटरसाइकिल की मांग की गई तथा मांग की पूर्ति न होने पर ससुराल वालों के द्वारा उसकी पुत्री (मृतका) को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उक्त तहरीर के विपरीत वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसकी लड़की के ससुराल वाले सिराज (पति), महेश (जेठ), छब्बन (जेठ), सास तथा जेठ कादिर द्वारा कभी भी उसकी बेटी को दहेज के लिए तंग व परेशान नहीं किया गया। उन लोगों द्वारा मोटरसाइकिल व दहेज की मांग भी उससे अथवा उसकी बेटी से नहीं की गयी। मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया गया कि दिनांक 09.11.2022 को उसकी बेटी को उसके दामाद सिराज विदा कर शाम को ले गए थे, अगली सुबह सात बजे उसके दामाद सिराज ने उसे फोन किया कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर जब वह लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे तो उसकी बेटी दुपट्टे से कुंढे से लटकी हुई थी उसके शरीर पर उसने कोई चोट के निशान नहीं देखे थे और अपनी बेटी की लाश देखकर वह बहुत परेशान हो गयी और लोगों के कहने पर उसने अपने दामाद व अन्य लोगों के खिलाफ थाने पर दरख्वास्त देकर मुकदमा लिखा दिया। पत्रावली में संलग्न कागज सं० ए–3/4 मूल तहरीर देखकर व सुनकर साक्षी ने कहा कि यह दरख्वास्त उसने थाने पर दिया था। जिसे वह प्रमाणित करती है। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मौके पर पुलिस वाले आए थे। लाश का पंचायतनामा कर सील मुहर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस साक्षी से प्रति परीक्षा किए जाने पर इसने कथन किया कि उसकी पुत्री सिराज से विवाह नहीं करना चाहती थी परन्तु उसके द्वारा समझा बुझाकर उसकी शादी करवा दी गयी थी जिससे वह संतुष्ट नहीं थी। ससुराल भेजे जाने पर वह बहुत खिन्न हो गयी थी। इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अभियुक्त व उसके परिवारजन की ओर से कभी भी उसकी पुत्री या फिर उससे स्वयं से कभी भी दहेज के लिए तंग अथवा परेशान नहीं किया गया। उसकी बिरादरी में दहेज का कोई चलन नहीं है। घटना

वाले दिन उसके दामाद सिराज की मां काफी बीमार हो गयी थी व उनको लेकर पूरा परिवार दवा इलाज कराने अस्पताल चले गए थे तब उसकी लड़की ने घर पर खुद को अकेला पाकर आत्महत्या कर ली। उसने अपने 161 सीआर०पी०सी० के बयान से इन्कार किया तथा स्वीकार किया कि तहरीर में दहेज वाली बात उसने लोगों के कहने पर लिखाया था। उक्त से सपष्ट है कि वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग के आरोप के विपरीत साक्ष्य दिया गया है तथा इससे अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है।

**26–** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–2 जुबेर अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी बहन से उसके ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल की मांग नहीं करते थे। उसकी अम्मी ने उसकी बहन की मृत्यु से परेशान होकर थाने पर रिपोर्ट लिखवा दी थी। इस साक्षी से प्रति परीक्षा किये जाने पर कथन किया है कि वह सिराज से शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन परिवार वालों ने मिलकर उसे समझा बुझाकर उसकी शादी करवा दी जिससे वह असंतुष्ट थी। उसकी बहन के ससुराल वालों ने कोई भी दहेज नहीं मांगा था। साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त की ओर से दहेज की मांग नहीं की गयी थी तथा मृतका स्वयं यह शादी नहीं करना चाहती थी और परिवार वालों के दबाव में शादी करने पर असंतुष्ट होने पर उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गयी।

**27–** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–3 वकील खां ने सशपथ कथन किया है कि उसके गांव के सिराज पुत्र घसीटे का निकाह मूसे गांव के सुभान अली की लड़की रुखसाना के साथ सन् 2022 में हुआ था। शादी में ही विदायी हो गयी थी। उसके करीब 4 महीने बाद रुखसाना अपने ससुराल में ही कुण्डे से लटककर दुपट्टे में फांसी लगा ली जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मुल्जिम सिराज ने अपने ससुराल वालों को मृत्यु की सूचना दी थी। उसके बाद सिराज के ससुराल वालों ने उसकी सास बहुती के द्वारा दहेज हत्या का मुकदमा लिखा दिया गया था। मृत्यु की सूचना पर वह मौके पर गया था। उसे यह नहीं मालूम कि किस कारण रुखसाना की मृत्यु हुई। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। मौके पर पुलिस आ गयी थी। लाश का पंचायतनामा कर सील करके पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया था। इस साक्षी से प्रति परीक्षा किये जाने पर उसके द्वारा कथन किया गया कि इनके लोगों में दहेज का लेन देन नहीं चलता है। इसलिए अभियुक्त सिराज ने मृतका या उसके परिवार से कोई दहेज की मांग नहीं की थी। अभियुक्त द्वारा कभी भी रुखसाना को परेशान नहीं किया गया था। आगे जिरह में कथन किया कि रुखसाना अपनी शादी कहीं अन्य जगह करना चाहती थी इसलिए वह इस शादी से खुश नहीं थी। घटना के दिन सिराज अपनी मां का इलाज करवाने के लिए नवाबगंज गया हुआ था। उस वक्त उसके घर पर रुखसाना के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। साक्षी ने आगे कथन किया किया कि रुखसाना को उसका पति सिराज पसंद नहीं था इसलिए अपने को अकेला पाकर उसने आत्महत्या कर ली। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि मृतका

सिराज से शादी नहीं करना चाहती थी परन्तु घर वालों के दबाव में उसने यह शादी कर ली थी। शादी से असंतुष्ट होने के कारण उसने एक दिन अपने को अकेला पाकर आत्महत्या कर ली।

**28–** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–7 अजमेर अली द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया कि रुखसाना उसकी बहन है तथा उसकी शादी घटना से लगभग पाँच महीने पहले सिराज पुत्र घसीटे निवासी–महजिदिया मौजा बेगमपुर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुयी थी। उसकी बहन की विदाई शादी में ही हो गयी थी। विदाई में अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट व उपहार दिया था। उन लोगों की तरफ से कोई दहेज की माँग नहीं की गयी थी। इस साक्षी से प्रति परीक्षा किये जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसकी बहन घटना से एक दिन पहले उसके घर आई थी। उसकी बहन अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती थी लेकिन उसकी माँ व अन्य घरवालों के समझाने–बुझाने पर वह ससुराल चली गयी। माँ के समझाने पर वह नाराज हो गयी थी और उसी गुस्से में उसने ससुराल जाकर आत्महत्या कर ली। जिरह में आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि उसकी बहन सिराज से शादी नहीं करना चाहती थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त व उसके परिवारीजन द्वारा कभी भी कोई दहेज की मांग नहीं की गयी थी और न ही कभी दहेज के लिए उसकी बहन को तंग किया गया था।

**29–** पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका को मृत्यु पूर्व लिगेचर मार्क के अतिरिक्त दो abrasion की चोटें आना अंकित किया गया है जिसके सम्बन्ध में डॉ० राकेश कुमार सिंह द्वारा यह कथन किया गया है कि चोट सं० 1 जो लिगेचर मार्ग है वो आत्महत्या करने से भी आ सकता है। चोट सं० 2 व 3 के बारे में साक्षी ने कथन किया कि वे चोटें किसी स्टूल या किसी ऊँची जगह से गिरने या रगड़ खाने से भी आ सकती हैं। यद्यपि मृतका रुखसाना की मृत्यु फांसी लगाने के कारण अस्वाभाविक रूप से अभियुक्त के घर पर हुई है परन्तु तथ्य के साक्षी ने वादिनी पी०डब्लू० 1 बहुती, मृतका का भाई पी०डब्लू० 2 जुबेल अली व पी०डब्लू० 3 वकील खां ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपना केस साबित करने में विफल रहा है कि मृतका की मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका के साथ दहेज में अपाची मोटरसाइकिल मांगने के सम्बन्ध में उसे प्रताड़ित किया गया।

**30–** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–5 उ०नि० उदयनाथ मिश्रा एक औपचारिक साक्षी हैं जिनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4 व कायमी जी०डी० प्रदर्श क–5 को प्रमाणित किया गया है।

**31–** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–6 अतुल कुमार चौबे जो कि इस मामले के विवेचक हैं तथा एक औपचारिक साक्षी हैं, के द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–6, आरोप–पत्र प्रदर्श क–7, पुलिस प्रपत्र सं० 33 प्रदर्श क–8, फोटोनाश प्रदर्श क–9,

चालाननाश प्रदर्श क–10, पत्र सी०एम०ओ० प्रदर्श क–11 को प्रमाणित किया गया है। प्रति परीक्षा किए जाने पर इस साक्षी ने कथन किया कि वह 11 तारीख को मौके पर घटना स्थल पर मृतका की मां के साथ गया था। उसके द्वारा विवेचना की गयी थी। घटना स्थल पर अभियुक्त व उसके परिवार वाले नहीं मिले थे। वादिनी द्वारा बताया गया था कि उसने पहले दहेज दिया था पर अभियुक्त और उसके परिवार वाले और दहेज की मांग कर रहे थे।

**32–** अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा मृतका को प्रताड़ित किया गया हो और उससे अतिरिक्त दहेज में अपाची मोटरसाइकिल की मांग की गयी जिसकी पूर्ति न होने पर फांसी लगाकर उसकी हत्या अथवा दहेज हत्या कारित कर दी गयी।

**33–** उपर्युक्त सम्पूर्ण साक्ष्यों, गवाहों की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आये सारवान विरोधाभासों तथा चिकित्सीय व दस्तावेजी साक्ष्यों के सम्यक् परिशीलन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यद्यपि मृतका रुखसाना की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है, किन्तु अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा अतिरिक्त दहेज में अपाची मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मृतका के साथ कोई शारीरिक अथवा मानसिक क्रूरता या प्रताड़ना की गई थी या उक्त मांग की पूर्ति न होने पर फांसी लगाकर उसकी हत्या अथवा दहेज हत्या कारित की गई। अतः अभियोजन पक्ष धारा 304 बी भा०दं०सं० के सबसे अनिवार्य तत्व मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की माँग को लेकर क्रूरता तथा धारा 498 ए भा०दं०सं व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आवश्यक विधिक तत्वों को स्थापित करने में पूर्णतः अक्षम रहा है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं० व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है और अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

(A) अभियुक्त **सिराज** को **धारा 498 ए, 304 बी भा०दं०सं०** व **धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के आरोप से सन्देह का लाभ प्रदत्त करते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

(B) अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानत प्रपत्र निरस्त कर प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(C ) अभियुक्त द्वारा धारा 437(ए) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानतनामें व बंधपत्र अग्रिम 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

**दिनांक–29.06.2026**

**(दिनेश चन्द)**
सत्र न्यायाधीश,
श्रावस्ती।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित किया जाकर उद्घोषित किया गया।

**दिनांक–29.06.2026**

**(दिनेश चन्द)**
सत्र न्यायाधीश,
श्रावस्ती।